	<p style="text-align: center;">उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० (उ० प्र० सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001</p>
---	--

संख्या 338-उनिलि/औ०सं०/2010/धुलाई भत्ता(74)

दिनांक: 29 दिसम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश सं०-25- औस०/उनिलि / धुलाई भत्ता/2008 दिनांक 14.01.08 के अनुक्रम में धुलाई भत्ता पाने वाले कर्मचारियों को अनुमन्य धुलाई भत्ते की दर रू० 30/- (रू० तीस) मात्र प्रतिमाह से बढ़ाकर रू० 40/- (रू० चात्तीस) मात्र प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त संशोधित धुलाई भत्ते की दर, आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी ।
3. अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध पूर्ववृत्त रहेंगे जैसा कि पूर्व परिषदादेश सं०-2177-के/राविप (ख)-119/59 दिनांक 29.04.1972 में उल्लिखित है ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक


संख्या : उनिलि/औ०सं०/2010/धुलाई भत्ता तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ आफीसर ।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/ (वित्त)/ (वित्त) उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव ।
- (3) मुख्य अभियन्ता(स्तर-1/2)अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना/पी०पी०एम०/तापीय परिचालन/मानव संसाधन/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/आर० एण्ड एम०/जानपद/वाणिज्य, उनिलि, लखनऊ ।
- (4) मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त) उनिलि, लखनऊ ।
- (5) महाप्रबन्धक, (लेखा), उनिलि, लखनऊ ।
- (6) कम्पनी सचिव, उनिलि, लखनऊ ।
- (7) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक(मा०सं०-1/2/3/4/5/6)/रिफार्म/प्रशिक्षण/टा.वा.से./चिकित्सा, उनिलि, लखनऊ ।
- (8) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उनिलि, लखनऊ ।
- (9) समस्त अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी,, उनिलि, लखनऊ ।
- (10) अभिलेख पत्रावली ।

PM-3, Pragati
 P.L. Prasad

3/1/11
 मुख्य कार्यालय
 लखनऊ संसाधन


 (वीर विनोद छाबड़ा)
 उपमहाप्रबन्धक(औ०सं०)